न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—142 / 2017 / अपील

रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति माली निवासी मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.12.2017 मु.नं. 131 / 2017 उनवानी सरकार बनाम रामलाल द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़

वकील अपीलांट श्री सागरमल धायल

निर्णय **दिनांकः—31.07.2018**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का जुगराजपुरा ने अपीलांट का भूमि खसरा नम्बर 457 रकबा 0.48 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर भूमि पर नाजायज रूप से डोल लगाकर अतिक्रमण कर लेने के सम्बंध में रिपोर्ट रेस्पोडेन्ट के यहां प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट को जरिए नोटिस तलब किया। जिस पर अपीलांट योग्य अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित आया व अपना जबाब नोटिस इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अपीलांट व अन्य के पूर्वजो की खाते कब्जे काश्त की भूमि रही है व हाल द्वितीय पैमाइस में उक्त भूमि को सिवाय चक काबिज काश्त लगानी राजस्व रिकार्ड में भूलवश अथवा किसी की मिलीभगत से उक्त सर्वथा मौके व रिकॉर्ड के विपरीत सरकारी भूमि अंकित कर दी। जबकि उक्त विवादित भूमि अपीलांट व अन्य के पूर्वजो के समय से ही उनके कब्जे व अधिकार की भूमि रही है। उपरोक्त तथ्यो पर गौर किए बिना व बिना रिकार्ड व मौके की सही जांच किए व बिना पटवारी हल्का व अन्य स्वतंत्र गवाहन के बयान लिए बिना ही योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ ने अपने निर्णय दिनांक 06.12.2017 द्वारा यह आधारहीन व अवैध आज्ञा जेर अपील पारित कर दी। विवादित आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.48 हैक्टर बारानी सिवाय चक काबिज काश्त भूमि पूर्व में अपीलांट के गत खसरा नम्बर 345 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा का भाग रही है। अपीलांट व अन्य सहकृषकगण ने वर्षाती पानी निकासी हेतु कुछ भू भाग छोड़ रखा है जिसे आवश्यकतानुसार काश्त करते आ रहे है व अपनी फसल की रक्षा हेतु अपीलांट ने अपनी मिट्टी की डोल लगा रखी है। अपीलांट ने कोई अतिक्रमण नही किया है। सदैव की भांति ही अपीलांट अपने अधिकारों के तहत ही उक्त भूमि पर डोल लगाकर सदैव से अपने पूर्वजो के समय से काबिज चले आ रहे है। अपीलांट का कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 457 रकबा 0.48 हैक्टर तन ग्राम मानगढ हल्का जुगराजपुरा पूर्व में गत खसरा नम्बर 345 रकबा 15 बिघा 10 बिस्वा तन मानगढ का ही भाग है, जो हाल द्वितीय पैमाइस में भूलवश या किसी की साजिस से उक्त भूमि को सिवाय चक काबिल काश्त लगानी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया। जिसकी ... ने किसी किस्म की जांच किये बिना ही अपनी आज्ञा जेर

Web Copy - Not Official

अपील पारित करने में गलती की है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया, न ही पटवारी हल्का की साक्ष्य लेखबद्ध की, न ही अपीलांट को जिरह का अवसर दिया तथा न ही किसी निष्पक्ष साक्षी के बयान लिये है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने न तो स्वयं मौके की वास्तविक स्थिति ही रिकार्ड पर ली। बिना मौका देखे व बिना मौके की भौतिक स्थिति ज्ञात किये ही आज्ञा जेर अपील पारित करने में गलती की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर के न्यायालय में विवादित भूमि के सम्बंध में अन्तरिम स्थगन होना अवगत कराया एवं अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट उपस्थित आया एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में जवाब प्रस्तुत किया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम जुगराजपुरा के खसरा नम्बर 457 रकबा 0.48 है0 किस्म बारानी सिवायचक में से 0.02 है0 पर डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में भी उक्त भूमि में से वर्षाती पानी की निकासी हेतु नाला बनाया जाना अंकित किया है। जिस पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः इस सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार अजीतगढ़ के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 06.12.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है, जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार अजीतगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि की बेदखली से पूर्व अन्य उच्च/सक्षम न्यायालय के स्थगन होने बाबत जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

31/7/18

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official